

**न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया**

सत्र वाद संख्या-2741/2020
मुकदमा अपराध सं0-191/2020
सरकार बनाम सुरेन्द्र यादव
धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना-सलेमपुर, जिला-देवरिया।

17.11.2021

पत्रावली पेश हुई। सत्र वाद पुकारा गया। अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री यादव न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक-24.11.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

दिनांक-17.11.2021

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया

**न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया**

सत्र वाद संख्या-2741/2020
मुकदमा अपराध सं0-191/2020
सरकार बनाम सुरेन्द्र यादव
धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना-सलेमपुर, जिला-देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0-16, देवरिया, आप अभियुक्त **सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री यादव** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि दिनांक-11.10.2020 को समय शाम 05:30बजे उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद पाण्डेय मय हमराही पुलिस टीम द्वारा अपने देखभाल क्षेत्र व रात्रि गस्त के दौरान नदावर पुल पर बंधे के पास संदेह के आधार पर पकड़े जाने एवं तलाशी लिये जाने के दौरान आपके पास से प्लास्टिक के झोले में काली पालीथीन में बांधकर रखा हुआ 1किलो 600ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(लोकेश कुमार)

दिनांक-17.11.2021

विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया

अभियुक्त का प्रतिकथन-

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की माँग की गयी।

(लोकेश कुमार)

दिनांक-17.11.2021

विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0-16, देवरिया